



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-08.10.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अरुण पाण्डेय को मारपीट के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा 10 माह वर्ष की सजा से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 342/2023 धारा-323, 354, 506, 376AB भादवि व 5N/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरुण पाण्डेय पुत्र स्व0 कालिका पाण्डेय निवासी निवासी किलनी थाना-चांद, कैमुर (बिहार) हाल पता- शिवाजीनगर कालोनी, मुरारी चौक, थाना लंका वाराणसी को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 08.10.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो-11 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 323 भादवि में 10 माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी